



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1932 (श0)
(सं0 पटना 350) पटना, वृहस्पतिवार, 3 जून 2010

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

2 जून 2010

सं0 मं0मं0-01/आर0-02/2010-786—दिनांक 14 जनवरी 2010 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में जीवनदायिनी गंगा नदी को पारिस्थितिकी आपदा से बचाने के लिए मंत्रिपरिषद् द्वारा निम्न संकल्प लिया गया है :-

“गंगा नदी की जल गुणवत्ता बनाये रखने और उसमें होने वाले प्रदूषण को रोकने तथा ऐसे उपाय जो गंगा नदी की जैव विविधता एवं उसमें रहने वाले जीव-जंतु विशेषतः डॉल्फिन के संरक्षण एवं गंगा नदी बेसिन परिस्थितिकी एवं प्रबंधन के उपयुक्त हों, करने के लिए सभी अपेक्षित कार्रवाई की जायगी और गंगा नदी की जल गुणवत्ता के वांछित स्तर को कायम रखने के लिए जन सहयोग भी प्राप्त किया जायगा।”

2. अतः राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त बिहार राज्य में गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन एवं उसके संरक्षण क्रिया-कलापों का समन्वय और कार्यान्वयन एवं व्यापक प्रबंधन के उपाय के निमित्त “नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना” को नोडल विभाग घोषित किया जाता है।

3. यदि नगर विकास एवं आवास विभाग यह आवश्यक समझें कि उसे किसी अन्य विभाग के सहयोग की आवश्यकता है तो संबंधित विभाग नगर विकास एवं आवास विभाग को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अफजल अमानुल्लाह,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 350-571+300-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>